

भारतीय मानक ब्यूरो
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय
1/14, सीआईटी स्कीम, VII एम, वीआईपी रोड
कंकुरगाछी, कोलकाता-700054

हमारा संदर्भ : ईआरओ/ए-21.1

दिनांक : 07.05.2019

दार्जिलिंग में होलीडे होम के लिए ई-निविदा नोटिस का शुद्धिपत्र
(संदर्भ संख्या- ईआरओ/ए-21.1, दिनांक 01-05-2019)

1. नए खंड को निम्न जैसा सम्मिलित किया जाए |
“खंड 1 (i) होटल/गेस्ट हाउस अनुसूची 10 की अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेगा।”
2. कृपया खंड 6.1(ए) को नीचे दिए गए यथासंशोधित रूप में पढ़ा जाए:
बोलीदाता दार्जिलिंग में एक होटल/गेस्ट हाउस में बीआईएस के लिए होलीडे होम उपलब्ध कराएगा।
3. खंड 6.1(जी) को कृपया नीचे दिए गए यथासंशोधित रूप में पढ़ा जाए:
कमरों में पहाड़ियों का अबाधित दृश्य होगा। दरवाजे, खिड़कियां सहित कमरे लीज अवधि के शुरू होने से पहले रंग किया जाएगा और अच्छी तरह से बनाए रखे जाना के साथ-साथ साफ रखा जाए।
4. कृपया खंड 6.1(ओ) को नीचे दिए गए यथासंशोधित रूप में पढ़ा जाए:
“होटल सुइट/कमरा संख्या जो बीआईएस को लीज पर दिया है, उसे निर्दिष्ट करना चाहिए। इसमें वैकल्पिक सुइट/कमरे की संख्या भी विनिर्दिष्ट की जाएगी जो अप्रत्याशित परिस्थितियों (जैसे नवीकरण, मरम्मत आदि) के कारण लीज पर दिए गए कमरे उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बीआईएस को प्रदान किए जाएंगे।

प्रभारी (प्रशासन एवं वित्त)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Eastern Regional Office
1/14, CIT Scheme, VII M, VIP Road
Kankurgachi, Kolkata – 700 054

Our Ref: ERO/A-21.1

07-05-2019

Corrigendum to E-tender notice for Holiday Home at Darjeeling
(Reference no. ERO/A-21.1 dated 01-05-2019)

1. New clause to be inserted as below:
“Clause 1(i): The Hotel/Guest House shall comply with the requirements of Schedule 10 also.”
2. Clause 6.1 (a) may please be read as amended below:
“The bidder shall provide Holiday Home for BIS in a Hotel/Guest House in Darjeeling.”
3. Clause 6.1 (g) may please be read as amended below:
“The rooms shall have unobstructed view of hills. The rooms including doors, windows, shall be painted before the start of the lease period and should be well-maintained and kept clean.”
4. Clause 6.1 (o) may please be read as amended as below:
“Hotel should specify suite/rooms number which are to leased out to BIS. It shall also specify alternate suite/room numbers which will be provided to BIS in case the leased out rooms are not available due to unforeseen circumstances (like renovation, repair, etc).”

Incharge (Admn. & Finance)